न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 96/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गिरधारी लाल पुत्र स्व0 श्री हरगोविन्द जाति ब्राह्मण निवासी साहडोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. तहसीलदार रामगढ़ लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0

3. हुकमचन्द पुत्र स्व0 श्री हरगोविन्द,
4. ममता पुत्री स्व0 श्री हरगोविन्द जातियान ब्राह्मण निवासीयान ग्राम साहडोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री मोहरसिंह मीना, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम साहडोली तहसील रामगढ़ के कदीमी वाशिन्दा हैं तथा स्व0 श्री हरगोविन्द पुत्र घमण्डीराम निवासी साहडोली तहसील रामगढ़ के विधिक वारिसान हैं । वादीगण के पिता श्री हरगोविन्द को सम्वत् 2022 अर्थात 1964–65 में आराजी साबिक ख0 नं0 1967 सिवायचक कस्टोडियन जो कि 258 बीघा 3 बिस्वा का बहुत बड़ा रकबा था, जिस आराजी का हाल ख0 नं0 944

रकबा 65.30 है0 है, में से 4 बीघा 17 बिस्वा का आवंटन हुआ था । उक्त हाल ख0 नं0 944 रकबा 65.30 है0 में से 4 बीघा 17 बिस्वा आराजी विवादित है । उक्त खसरा नम्बर में अन्य काफी लोगों को भी उसी समय जमीन आवंटित हुई थी जिनमें से कुछ लोगों को खातेदारी व गैर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है जिस संबंध में एस.डी.ओ. रामगढ़ के निर्णय दिनांक 3.4.2008 व तहसीलदार रामगढ़ के आदेश क्रमांक 786 से 801 दिनांक 11.4.2008 की पालना में इन्तकाल स्वीकार किये गये थे जिसकी नकल संलग्न है । वादीगण के पिता श्री हरगोविन्द अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति थे तथा उन्होंने आवंटित आराजी की गैर खातेदारी प्राप्त करने के लिए कीमत कर्जा भी जमा करवा दिया था तथा इस विश्वास में थे कि उक्त आराजी उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है किन्तु उक्त आराजी की गैर खातेदारी अभी तक नहीं मिली है । हाल जमाबन्दी में विवादित आराजी सिवायचक लगानी कस्टोडियन दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जिसमें कुछ आवंटियों के इन्तकाल का भी नोट लगा हुआ है । विवादित आराजी पर वादीगण अपने बुजुर्ग स्व0 हरगोविन्द के जीवनकाल से कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण का पिछले करीब 45–50 सालों से बदस्तूर मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । ताईद में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 संलग्न कर प्रस्तुत है जिनमें अन्य आवंटियों के नाम के साथ वादीगण के पिता स्व0 श्री हरगोविन्द का नाम अलोटी दर्ज है और काश्त दर्ज है । विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में सिवायचक लगानी कस्टोडियन दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जो इन्द्राज खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है जिससे वादीगण के हकूक जायल होते हैं । विवादित आराजी वादीगण की गैर खातेदारी में है । इसलिए वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का गैर खातेदार घोषित करवाना चाहता है । अतः दावा डिक्री किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद दिनांक 08.12.2014 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 08.12.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी ।

बहस में अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की है तथा लिखित बहस के साथ मौखिक बहस की । लिखित बहस में दावे के तथ्यों को दोहराया तथा कहा कि वाके ग्राम साहड़ोली की आराजी ख0 नं0 1967 सिवायचक कस्टोडियन थी तथा सम्वत् 2022 अर्थात 1964–65 में ख0 नं0 1967 कुल रकबा 258.03 बीघा जिसके हाल ख0 नं0 944 रकबा 65.30 है0 है में से अपीलांट के पिता श्री हरगोविन्द पिता श्री घमण्डीराम को 4 बीघा 17 बिस्वा आराजी का आवंटन हुआ था । साथ ही इस आराजी से अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन हुआ था । बहुत से आवंटियों को उक्त ख0 नं0 1967 रकबा 258.03 बीघा में से आवंटन के अनुसार खातेदारी और गैर खातेदारी प्राप्त हो गयी परन्तु अपीलांट के पिता को रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड नहीं किया । अपीलांट ने उक्त आराजी की कीमत कर्जा भी जमा करवा दिया, परन्तु अभी तक गैर खातेदारी दर्ज नहीं की ।

लिखित बहस में आगे कहा कि विवादित आराजी रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पर अपीलांट का उनके पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । खसरा गिरदावरी

सम्वत् 2032 में उनके कब्जे व काश्त की रिपोर्ट दर्ज है । वर्तमान इन्द्राज सिवायचक कस्टोडियन दर्ज है जो खिलाफ मौका व कानून है । इससे वादी के हक हकूक जायल होते हैं । वादी व तरतीबी प्रतिवादी अपने आपको गैर खातेदार के रूप में रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है ।

आगे कहा कि तहत न्यायालय ने वादी/अपीलांट का वाद गलत रूप से खारिज किया है । यहां पर हमने रेकार्ड भी पेश किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि हमें विवादित आराजी में से रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पिता श्री हरगोविन्द को आवंटित हुई है । अन्य आवंटियों का रेकार्ड में अंकन हो गया है परन्तु हमारे पिता का नाम रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है । तहत अदालत को इन बिन्दुओं पर गौर करके दावा वादी डिक्री किया जाना चाहिए था परन्तु खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दावा वादी दिनांक 08.12.2014 को खारिज कर दिया है ।

इस निर्णय दिनांक 08.12.2014 से प्रभावित होकर हमने यह अपील पेश की है तथा रेकार्ड भी पेश किया है । अतः हमें गैर खातेदार/खातेदार घोषित किया जावें तथा रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

रेस्पो0 पैरोकार सरकार अभिभाषक ने बहस प्रतिउत्तर में कहा कि वादीगण/अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों को आवंटित हुई हो । हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी सिवायचक लगानी कस्टोडियन दर्ज चली आ रही है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सही है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्यों तथा वाद वादी के तथ्यों का तथा रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया ।

तहत अदालत ने अपने निर्णय में वाद के तथ्यों तथा बहस का अंकन करते हुए लिखा है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों को आवंटित की गई हो ।

इस संबंध में अपील में अपीलांट द्वारा कुछ दस्तावेज पेश किये गये है जिनके अनुसार उक्त ख0 नं0 1967 के बड़े रकबे में से बहुत से अन्य काश्तकारों को भी जमीन का आवंटन किया गया था तथा उनका इन्तकाल भी दर्ज हुआ है तथा गैर खातेदारी भी दर्ज करके अन्य को खातेदारी भी मिली है । खसरा गिरदावरी रिपोर्ट तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है तथा अपीलांट ने विवादित आराजी की कीमत भी अदा करने बाबत कहा है । चूंकि जमीन कस्टोडियन है जिसका कीमतन आवंटन का प्रावधान है । इन्हीं बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में रिलीफ चाही गयी है । तहत अदालत ने माना है कि अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे अपीलांट को आवंटन हुआ हो, साक्ष्य भी पेश नहीं करना जाहिर किया है । अपीलांट ने इन्हीं बिन्दुओं पर यहां अपीलीय न्यायालय में बहस की है तथा दावे के बिन्दुओं को साबित करने के संबंध में रेकार्ड भी पेश किया है । अतः अपीलांट

को पुनः उक्त सभी दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना उचित है । तहत अदालत ने अपीलांट/वादी को रेकार्ड पेश करने का अवसर नहीं दिया ।

अतः तहत अदालत को अपीलांट को उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए था तथा यदि दस्तावेज पेश नहीं किये तो दस्तावेज पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था । साथ ही अपीलांट के कब्जे काश्त की भी रिपोर्ट लेकर साबिक रेकार्ड के आधार पर गुणावगुण पर उचित निर्णय पारित करना चाहिए था ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 08.12.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को रेकार्ड व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/3/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर